



13156(0441)/NIFT-Bhopal/Admin/2025

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (ईओआई)

रनिंग ब्यूटी पार्लर सह यूनिसेक्स सैलून के लिए

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए की गई थी और इसे संसद के एक अधिनियम, निफ्ट अधिनियम 2006 के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था। निफ्ट देश भर में फैशन व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायबरेली, शिलांग, श्रीनगर और वाराणसी में स्थित 19 परिसरों के नेटवर्क के माध्यम से डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में पेशेवरों और छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए डिप्लोमा/प्रमाणपत्र/अल्पकालिक/हाइब्रिड कार्यक्रम भी प्रदान करता है

निफ्ट भोपाल भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 में स्थित है। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 700 विद्यार्थी और 60 कर्मचारी हैं। विद्यार्थियों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

निफ्ट भोपाल, परिसर में ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून स्थापित करने और संचालित करने के लिए एक उद्यम/कंपनी के चयन की प्रक्रिया में है। जिन नियमों और शर्तों पर अनुबंध दिया जाना है, वे अगले पृष्ठों में दिए गए हैं और निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित हैं:

- ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून का अवलोकन
- बोलीदाताओं के लिए सूचना एवं निर्देश
- नियम एवं शर्तें और कार्य का दायरा
- नियमों, शर्तों और नियमों के उल्लंघन के लिए दंड

ब्यूटी पार्लर सह यूनिसेक्स सैलून का अवलोकन

1. **स्थान** - निर्दिष्ट क्षेत्र भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 स्थित निफ्ट के छात्रावास भवन का हिस्सा है। पार्लर स्पेस में दो जुड़े हुए कमरे हैं, जिनमें से एक का माप लगभग 14.3' x 10.2' और दूसरे का माप लगभग 9.8' x 7.56' है। साथ ही एक वॉश रूम का माप लगभग 7' x 4.7' है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट क्षेत्र को देखने के लिए संस्थान में आएँ।

2. **प्रदत्त कार्य का कार्यक्षेत्र :**

ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून निफ्ट भोपाल के छात्रों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है। लाइसेंसधारी निफ्ट भोपाल और संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार सेवाएँ प्रदान करेगा।

3. **पात्रता मापदंड-** कोई भी इच्छुक ब्यूटी पार्लर/सैलून संचालक जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, वह निफ्ट भोपाल में ब्यूटी-पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून की स्थापना और संचालन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा:

- (i) बोलीदाता को उद्यम/कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- (ii) बोलीदाता के पास ब्यूटी पार्लर/सैलून सेवाओं के लिए प्रासंगिक और वैध व्यापार लाइसेंस होना चाहिए।
- (iii) बोलीदाता के पास ऐसी सुविधा चलाने के लिए प्रासंगिक और वैध दुकान एवं स्थापना अधिनियम/फैक्ट्री अधिनियम (जैसा लागू हो) लाइसेंस/गुमास्ता लाइसेंस होना चाहिए।
- (iv) बोलीदाता एक प्रतिष्ठित ब्रांड होना चाहिए और उसके पास ब्रांड के लिए वैध ट्रेडमार्क पंजीकरण होना चाहिए।
- (v) बोलीदाता के पास वैध जीएसटी पंजीकरण और पैन पंजीकरण होना चाहिए।
- (vi) बोलीदाता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25) में न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹ 100.00 लाख होना चाहिए।
- (vii) बोलीदाता को किसी भी कार्य या व्यवहार के संबंध में किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

बोलीदाताओं के लिए सूचना और निर्देश

1. सामान्य:

(i) संलग्न प्रपत्रों में मांगी गई सभी सूचनाएं संबंधित स्तंभों में दी जानी चाहिए। यदि किसी कारण से, सूचना अलग शीट पर दी जाती है, तो इस तथ्य का संबंधित स्तंभ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी स्तंभ में कोई सूचना नहीं दी जानी है, तो भी उस स्तंभ में "शून्य" प्रविष्टि की जानी चाहिए। यदि आवेदक के मामले में कोई विवरण/प्रश्न लागू नहीं होते हैं, तो इसे "एनए" के रूप में बताया जाना चाहिए। आवेदकों को सावधान किया जाता है कि अधूरी जानकारी देना, भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व करना, स्पष्ट शब्दों में जानकारी नहीं देना, जानबूझकर जानकारी को दबाना या निर्धारित प्रपत्रों, विवरणों और संलग्नकों में कोई भी परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप आवेदन को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) आवेदन मुद्रित प्रारूप में होना चाहिए। बोलीदाता को सभी कॉलम में जानकारी भरनी चाहिए और आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। EOI को निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा साथ ही सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। EOI जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं या अधूरे हैं या अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iii) ओवरराइटिंग से बचना चाहिए। यदि कोई सुधार हो तो उसे साफ-साफ काटकर, फिर से लिखकर और तारीख के साथ हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया जाना चाहिए। ईओआई दस्तावेज़ के पृष्ठों पर क्रमवार संख्या अंकित होनी चाहिए। यदि आवेदक द्वारा कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ा गया है तो उसे भी क्रमांकित किया जाना चाहिए।

(iv) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी तत्काल या बाद में गलत पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आवेदक को निफ्ट निविदाओं/बोलियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

(v) ईओआई को अनुलग्नक I और II में दिए गए प्रोफार्मा में जमा किया जाना चाहिए। अनुलग्नक I को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर 'तकनीकी बोली' के रूप में चिह्नित और सीलबंद होना चाहिए। अनुलग्नक II को एक लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर 'वित्तीय बोली' के रूप में चिह्नित और सीलबंद होना चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के रूप में चिह्नित लिफाफों को एक लिफाफे के अंदर रखा जाना चाहिए जिस पर **“निफ्ट भोपाल में एक ब्यूटी पार्लर सह यूनिसेक्स सैलून स्थापित करने और संचालित करने के लिए ईओआई”**, उल्लिखित कर भेजे जाने चाहिए। इस सीलबंद लिफाफे में आवेदन **संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030** को संबोधित किया जाना चाहिए जिसपर बोलीदाता का पता उल्लिखित होना चाहिए। उपरोक्त आवेदन व्यक्तिगत रूप से या केवल पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए जिससे कि यह आवेदन संस्थान में दिनांक 19/07/2025 शाम 05:30 बजे तक पहुंच सके। ईमेल, टेलीग्राम या टेलेक्स द्वारा भेजे गए आवेदनों और देरी से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. निफ्ट भोपाल को अभिरुचि पत्र में उल्लिखित किसी भी नियम व शर्त को संशोधित करने या वापस लेने या बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व वहन किए बिना किसी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और वह योग्य अभिरुचि पत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस संबंध में निफ्ट भोपाल के अधिकारियों का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

3. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून संचालक का अंतिम चयन, उद्धृत लाइसेंस शुल्क और सेवाओं पर दी जाने वाली छूट के आधार पर किया जाएगा। वेटेज की गणना का सूत्र अनुलग्नक-II में दिया गया है। उद्धृत छूट मध्य प्रदेश राज्य में दी जा रही सेवाओं की न्यूनतम दर (या न्यूनतम दर से कम) पर होनी चाहिए। **न्यूनतम लाइसेंस शुल्क ₹ 5000/- (पांच हजार रुपये) प्रति माह होगा। सफल बोलीदाता को जमा करना होगा ₹ 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) सुरक्षा जमा के रूप में कार्य/अनुबंध शुरू होने से पहले निफ्ट भोपाल के साथ सुरक्षा जमा राशि जमा करानी होगी। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और सुरक्षा जमा राशि अनुबंध के सफल समापन के बाद और बकाया राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी।**

4. **न्यूनतम छूट 10%** सभी सेवाओं पर कंपनी की दरें समान होनी चाहिए।

5. सफल बोलीदाता को आवंटित क्षेत्र में सौंदर्य/व्यक्तिगत सौंदर्य उत्पाद बेचने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब बोलीदाता के पास कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए विनिर्माण लाइसेंस हो। **न्यूनतम छूट 10%** ऐसे उत्पादों के खुदरा मूल्य पर ही छूट की पेशकश की जानी चाहिए। हालांकि, उत्पादों की बिक्री और उस पर छूट को बोलीदाता के निर्धारण में नहीं गिना जाएगा।

6. अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने से पहले, सेवा प्रदाता को सलाह दी जाती है कि वह संस्थान का दौरा करके संभावित कार्य की व्यवस्था से अवगत हो जाए।
7. अभिरुचि की अभिव्यक्ति ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद खोली जाएगी और वित्तीय बोली केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के संबंध में खोली जाएगी।

नियम एवं शर्तें और कार्यक्षेत्र

1. निफ्ट भोपाल प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून को पूरे शैक्षणिक सत्र में एक साप्ताहिक अवकाश के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक अनिवार्य रूप से चलाना आवश्यक है। ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून संबंधित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, साप्ताहिक अवकाश के अलावा किसी भी दिन बंद नहीं रहेगा।
2. स्थापित/प्रयुक्त उपकरण अच्छी गुणवत्ता के होंगे तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होंगे।
3. उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ/उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाले और प्रतिष्ठित ब्रांड के होने चाहिए। कोई भी एक्सपायरी डेट वाली वस्तु का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
4. वित्तीय बोली में प्रस्तावित छूट के प्रतिशत के अनुसार सभी सेवाओं की दर-सूची, नामित समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा निफ्ट भोपाल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित की जाएगी। ये कीमतें बिना किसी वृद्धि के अनुबंध की पूरी अवधि के लिए लागू रहेंगी।
5. ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून के लिए फर्नीचर और उपकरण लाइसेंसधारी को ही उपलब्ध कराने होंगे। लाइसेंसधारी द्वारा उपयोग किए जा रहे फर्नीचर और उपकरणों का रखरखाव पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है।
6. छोटे-मोटे कार्य (रखरखाव) का खर्च लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।
7. यह अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष के अंत में इसकी समीक्षा की जाएगी तथा संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसका नवीकरण किया जाएगा।
8. लाइसेंसधारी को सुरक्षा जमा/लाइसेंस शुल्क केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से निफ्ट भोपाल बैंक खाते में जमा करना होगा और संबंधित यूटीआर कोड संख्या accountsteam.bhopal@nift.ac.in पर प्रदान करनी होगी। निफ्ट भोपाल बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:

निफ्ट जनरल खाता सं. : 549102010009108

शाखा : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोलार रोड, भोपाल-462041

आईएफएससी : UBIN0554910

10. लाइसेंसधारक को हर महीने की 7 तारीख तक मासिक लाइसेंस फीस अग्रिम रूप से जमा करानी होगी। लाइसेंस फीस दस (10) महीने के लिए पूरी दर पर और दो (02) महीने के लिए (संस्थान के सत्र में न होने की कुल अवधि को ध्यान में रखते हुए) उद्धृत लाइसेंस फीस के 50% पर देय होगी।

11। लाइसेंसधारी को सब-मीटर के अनुसार वास्तविक खपत के अनुसार बिजली और पानी का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारी को प्रदान की गई बिजली और प्लंबिंग फिटिंग/फिक्स्चर की सुरक्षा और आवंटित क्षेत्र के नियमित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना होगा।

12. यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क और/या विद्युत शुल्क का समय पर भुगतान करने में विफल रहता है या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।

13. लाइसेंसधारी स्वच्छता संबंधी शर्तों से संबंधित नगरपालिका उप-नियमों के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और ब्यूटी पार्लर सह यूनियन के कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करेगा।

14. इस अनुबंध के निष्पादन के लिए उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करना लाइसेंसधारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

(क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

(बी) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952

(सी) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

(घ) अनुबंध श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम 1970।

(ई) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम और नियम, 1946।

(च) बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1986।

(छ) बोनस भुगतान अधिनियम एवं नियम, 1965।

(ज) कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923।

15. पार्लर क्षेत्र की सफाई और हाउसकीपिंग की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी। निफ्ट भोपाल परिसर की सफाई और रखरखाव तथा सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

16. लाइसेंसधारी दैनिक आधार पर पार्लर क्षेत्र से अपशिष्ट/कूड़े को हटाने और निपटान के लिए जिम्मेदार है।

17. लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारी संक्रामक रोगों से मुक्त हों। इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अपने काम को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और लाइसेंसधारी को बिना किसी चूक के तुरंत उनकी जगह किसी और को नियुक्त करना होगा।

18. लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति अच्छे आचरण वाले हों तथा शिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करें।

19. लाइसेंसधारी के कर्मचारियों को कोई आवास, कोई चेंजिंग/आराम कक्ष उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
20. लाइसेंसधारी द्वारा नियोजित कर्मचारियों के कामकाज से संबंधित सभी व्यय लाइसेंसधारी के दायरे में होंगे।
21. लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी या उसके किसी भी कर्मचारी को किसी दुर्घटना के कारण चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में दायित्व/जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ऐसे मामलों में संस्थान के अधिकारी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
22. लाइसेंसधारी को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने, सौंपने, गिरवी रखने या उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं होगी।
23. लाइसेंसधारी को निफ्ट भोपाल के नामित अधिकारी से उपयुक्त निर्देश प्राप्त करने होंगे तथा आवश्यकतानुसार शीघ्रता से सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
24. संस्थान का नामित प्राधिकारी ब्यूटी पार्लर-सह-यूनिसेक्स सैलून संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।
25. लाइसेंसधारी उपयोगकर्ताओं से शुल्क एकत्र करेगा और संस्थान उपयोगकर्ताओं से किसी भी शुल्क के संग्रह के लिए जिम्मेदार नहीं है।
26. लाइसेंसधारी किसी भी और सभी करों के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें वाणिज्यिक संपत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, मौजूदा या भविष्य के कानूनों, अधिनियमों, नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि के तहत शुल्क उपकर शामिल हैं, जो केंद्र या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय प्राधिकरण या आपूर्ति के संबंध में या उसके संबंध में निकाय द्वारा जारी किए जाते हैं और निफ्ट ऐसे करों, दरों, शुल्कों आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वे मौजूदा हों या जो भविष्य में अर्जित हो सकते हैं।
27. कार्य आदेश जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहने या लाइसेंसधारी द्वारा अवैध, अनैतिक, हिंसक गतिविधियों में शामिल होने या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करने पर लाइसेंसधारी को संस्थान की किसी भी निविदा/ईओआई में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
28. निफ्ट भोपाल बिना कोई कारण बताए एक महीने के नोटिस पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसके लिए कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। ठेकेदार अनुबंध के निरस्तीकरण या समाप्ति की सूचना की तिथि से एक महीने के भीतर सभी सामानों के साथ उक्त परिसर से खुद को हटा लेगा और इसे पूरी तरह से खाली छोड़ देगा। यदि ठेकेदार सहमत अवधि की समाप्ति से पहले अनुबंध समाप्त करने का इच्छुक है, तो ठेकेदार निफ्ट भोपाल को लिखित में तीन महीने पहले नोटिस देगा। अनुबंध की समाप्ति किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को देय किसी भी राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगी और साथ ही इससे पहले किए गए किसी भी दायित्व का पालन या निर्वहन भी नहीं करेगी।
29. अनुबंध की समाप्ति पर, ठेकेदार उक्त पार्लर क्षेत्र और अन्य परिसर का कब्जा, उसमें मौजूद फिक्सचर और वस्तुओं सहित, अच्छी कार्यशील स्थिति में, निफ्ट भोपाल को शांतिपूर्वक सौंप देगा और निफ्ट भोपाल के पक्ष में अपना अधिकार भी छोड़ देगा।

30. समझौते या उसके उल्लंघन या उसकी अमान्यता से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी विवाद के मामले में, पहले उसे बातचीत के ज़रिए निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपसी बातचीत से उसका समाधान नहीं होता है, तो उसे निफ्ट भोपाल के निदेशक या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। सभी विवाद केवल भोपाल (मध्य प्रदेश) क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

31. सफल बोलीदाता को स्टाम्प पेपर पर अनुबंध की शर्तों और नियमों पर निफ्ट भोपाल के साथ एक समझौता करना होगा। पैरा 4 'नियम और शर्तें तथा कार्य का दायरा' के अनुसार दर-सूची की सूची इस समझौते का हिस्सा होगी। ठेकेदार हस्ताक्षरित अनुबंध की तैयारी और निष्पादन के लिए सभी लागतों/प्रभारों और खर्चों को वहन करेगा और दो प्रतियों में भुगतान करेगा। संस्थान मूल अनुबंध दस्तावेज़ को अपने पास रखेगा और ठेकेदार उसी की प्रति अपने पास रखेगा।

32. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन, खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड जैसे काम छोड़ देना, अनुबंध को ठीक से पूरा न करना, या वित्तीय विफलता/कमजोरी आदि के कारण अनुबंध समाप्त हो सकता है।

नियमों, शर्तों और नियमों के उल्लंघन पर दंड

विक्रेता पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा:

1. पूर्व-निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर सेवाओं या उत्पादों को बेचने की किसी भी शिकायत पर प्रति घटना न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
2. संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति के बिना, अनुबंध के बाहर कोई सेवा बेचने की शिकायत पर प्रति घटना न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. अनुबंध में वर्णित किसी भी नियम का पहली बार उल्लंघन करने पर नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। पिछले जुर्माने के दिन से अलग दिन उसी नियम का दूसरी बार और बाद में उल्लंघन करने पर लाइसेंसधारक पर जुर्माने की प्रारंभिक राशि का तीन गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
4. जुर्माना लगाने का अंतिम निर्णय निफ्ट भोपाल के निदेशक को लेना है।
5. लाइसेंसधारी को जुर्माने की पूरी राशि एकमुश्त, 15 दिनों के भीतर अदा करनी होगी।

स्व - घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उद्यम/कंपनी/दुकान को किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा किसी भी कार्य या व्यवहार के संबंध में ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर :

(स्टाम्प के साथ)

नाम / फर्म का नाम :

पता :

तारीख :

मोबाइल न० :

ईमेल आईडी :

**तकनीकी बोली
अभिरुचि की अभिव्यक्ति
निफ्ट भोपाल में ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून चलाने के लिए**

1.	प्रतिष्ठान/कंपनी पंजीकरण के अनुसार ब्यूटी पार्लर संचालक का नाम	
2.	पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार ब्यूटी पार्लर संचालक का पता/पते	
3.	लैंड लाइन/मोबाइल नं.	
4.	ईमेल आईडी	
5.	प्रतिष्ठान/कंपनी पंजीकरण संख्या (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
6.	ट्रेड लाइसेंस संख्या (लाइसेंस की प्रति संलग्न करें)	
7.	दुकान एवं स्थापना अधिनियम/फैक्ट्री अधिनियम (जैसा लागू हो) लाइसेंस/गुमास्ता लाइसेंस क्रमांक (पंजीकरण प्रमाण पत्र/लाइसेंस की	
8.	ट्रेडमार्क पंजीकरण सं. (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
9.	पंजीकृत प्रतिष्ठान/कंपनी के संबंध में पैन नंबर (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
10.	पंजीकृत प्रतिष्ठान/कंपनी के संबंध में जीएसटी संख्या (प्रमाणपत्र की	
11.	यूडीआईएन नंबर के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाणपत्र। प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें	
12.	विनिर्माण लाइसेंस संख्या, यदि लागू हो (पंजीकरण प्रमाणपत्र/लाइसेंस की प्रति संलग्न करें)	

टिप्पणी: क्रम संख्या 5 से 11 में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है और क्रम संख्या 12 में केवल उन उत्पादों के लिए आवश्यक है जो बेचे जा रहे हैं। इस विषय पर मौजूदा कानूनों के अनुसार छूट लागू होगी। उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता, जब तक कि अन्यथा छूट न दी गई हो, बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित)

तारीख:

वित्तीय बोली

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

निफ्ट भोपाल में ब्यूटी पार्लर-कम-यूनिसेक्स सैलून चलाने के लिए

1. मैं/हम निफ्ट भोपाल में ब्यूटी पार्लर-सह-यूनिसेक्स सैलून चलाने के लिए निफ्ट भोपाल को प्रति माह ₹..... (अंकों में) रुपये (शब्दों में) का लाइसेंस शुल्क (पानी और बिजली शुल्क को छोड़कर) का भुगतान करने की पेशकश करते हैं।

(कृपया राशि का उल्लेख आंकड़ों और शब्दों में करें। जीएसटी अलग से लिया जाएगा, जैसा लागू हो)

2. मैं/हम प्रति सेवा% (शब्दों में,) की छूट प्रदान करेंगे।

चयन के मानदंड: उद्धृत लाइसेंस शुल्क और सेवाओं पर दी जाने वाली छूट का भार निम्नानुसार गणना किया जाएगा: -

न्यूनतम लाइसेंस शुल्क (अर्थात् ₹ 5000/-) से ऊपर उद्धृत प्रत्येक ₹ 500 के लिए पांच (05) अंक दिए जाएंगे, तथा दिए जाने वाले कुल अंक 20 से अधिक नहीं होंगे।

उद्धृत न्यूनतम छूट (अर्थात् 10%) से अधिक प्रत्येक प्रतिशत छूट के लिए पांच (05) अंक दिए जाएंगे तथा दिए जाने वाले कुल अंक 80 से अधिक नहीं होंगे।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित)

तारीख:



**National Institute of Fashion Technology
Ministry of Textiles, Govt. of India**

Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030

Website: nift.ac.in/Bhopal, Telephone - 0755-2493636

13156(0441)/NIFT-Bhopal/Admin/2025

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
FOR RUNNING BEAUTY PARLOUR CUM UNISEX SALON

National Institute of Fashion Technology (NIFT) was set up by the Ministry of Textiles, Government of India in 1986 for the promotion and development of education and research in field of Fashion Technology and was accorded statutory status through an Act of Parliament, NIFT Act 2006. NIFT provides fashion business education across the country. NIFT offers Under Graduate/ Post Graduate/PhD programmes in various fields of design, management and technology through a network of 19 campuses located at Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Daman, Delhi, Gandhinagar, Hyderabad, Jodhpur, Kangra, Kannur, Kolkata, Mumbai, Panchkula, Patna, Raibareli, Shillong, Srinagar and Varanasi. NIFT also offers Diploma/Certificate/Short-term/Hybrid programmes to address the specialised needs of professionals and students in the field of fashion. NIFT has its head office in New Delhi.

NIFT Bhopal is located at Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030. Presently NIFT Bhopal has around 700 students and 60 employees. The number of students and employees may change.

NIFT Bhopal is in the process of selection of an enterprise/company to set-up and operate a Beauty Parlour-Cum-Unisex Salon in the campus. The terms and conditions on which the contract is to be awarded are given in the subsequent pages and are divided under the following headings:

- Overview of the Beauty Parlour-Cum-Unisex Salon
- Information and Instructions for Bidders
- Terms and conditions and scope of work
- Penalties for violation of rules, terms and conditions

OVERVIEW OF THE BEAUTY PARLOUR CUM UNISEX SALON

1. **Location** - The designated area is part of the Hostel Building of NIFT at Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030. The parlour space has two connected rooms one measuring 14.3' x 10.2' approx and the other measuring 9.8' x 7.56' approx. plus a wash room measuring 7'x4.7'approx. The bidders are advised to visit the Institute to physically see the designated area.

2. **General Scope of the Assignment:**

The Beauty Parlour-Cum-Unisex Salon is a facility provided to the students and employees of NIFT Bhopal. The licensee shall provide the services as required by the students and employees of NIFT Bhopal and the Institute.

3. **Eligibility Criteria** - Any interested Beauty Parlour/Salon operator who meets the following criteria shall be eligible to apply for setting up and running the Beauty-Parlour-Cum Unisex Salon at NIFT Bhopal:

(i) The bidder should be registered as an enterprise/company.

(ii) The bidder should have a relevant and valid trade license for Beauty Parlour/ Salon services.

(iii) The bidder should have a relevant and valid Shops and Establishment Act/Factory Act (as applicable) License/Gumasta License for running such a facility.

(iv) The bidder should be a reputed brand and have a valid Trademark Registration for the brand.

(v) The bidder should have a valid GST registration and PAN registration.

(vi) The bidder should have minimum annual turnover of ₹ 100.00 lakh in last 3 Financial years (i.e. FY 2022-23; FY 2023-24 & FY 2024-25).

(vii) The bidder should not have been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR BIDDERS

1. **General:**

(i) All information called for in the annexed forms should be furnished against the

relevant columns. If for any reason, information is furnished on a separate sheet, this fact should be clearly mentioned against the relevant column. Even if no information is to be provided in a column, a "nil" entry should be made in that column. If any particulars /queries are not applicable in case of the applicant, it should be stated as "NA". The applicants are cautioned that giving incomplete information, giving misleading or false representation, not giving information in clear terms, deliberately suppressing the information or making any change in the prescribed forms, statements and enclosures shall result in the application being summarily rejected.

(ii) The application should be in printed form. The bidder should fill up information in all the columns and sign each page of the application as well as the submitted documents. EOI shall be submitted in the prescribed format only along with all supporting documents as required. EOIs which are not in prescribed format or are incomplete or submitted without requisite documents shall be summarily rejected.

(iii) Overwriting should be avoided. Correction, if any, should be made by neatly crossing out, rewriting and authenticated by initialing with date. Pages of the EOI document are serially numbered. Additional sheets, if any added by the applicant, should also be numbered by him/her.

(iv) Any information furnished by the applicant found to be incorrect either immediately or at a later date, would render him/her ineligible and the applicant shall be debarred from participating in NIFT tenders/bids.

(v) The EOI should be submitted in the proforma given in **Annexure I & II**. Annexure I, along with all supporting documents should be kept in an envelope marked as 'Technical Bid' and sealed; Annexure II should be kept in an envelope marked as 'Financial Bid' and sealed. Envelopes marked as Technical Bid and Financial Bid should be kept inside a cover (envelope) which should be super scribed with the words **"EOI to set-up and operate a Beauty Parlour Cum Unisex Salon in NIFT Bhopal"**, and the cover is to be sealed. The sealed cover addressed to the **Joint Director, National Institute of Fashion Technology, Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030**, and containing the address of the bidder should be personally delivered or sent by registered post or courier only so as to reach the Institute by **19-07-2025 till 05:30 PM**. Applications sent by any other mode or those received late will not be entertained.

2. NIFT Bhopal reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions mentioned in the Expression of Interest document or to reject any or all the application without giving any notice or assigning any reason thereof or incurring any liability to the bidders and shall not be bound to accept the qualified Expression of

Interest. The decision of NIFT Bhopal authorities in this regard shall be final and binding on all.

3. Final selection of Beauty Parlour-cum-Unisex Salon Operator, from technically qualified bidders, shall be based on license fee quoted and discount offered on the services. Formula for calculation of weightage is given in Annexure-II. The discount quoted should be on the minimum rate (or lower than the minimum rate) of services being offered in the state of Madhya Pradesh. **Minimum License Fee will be ₹ 5000/- (Rupees Five Thousand) per month.** Successful bidder shall deposit **₹ 1,00,000/- (Rupees One lakh only) as Security Deposit** with NIFT Bhopal before the commencement of work/contract. No interest shall accrue on this deposit and the security deposit will be returned after successful completion of the contract and after adjusting dues, if any.

4. A **minimum discount of 10%** on the company rates should be offered on all services.

5. The successful bidder may be allowed to sell beauty/ personal grooming products, from the allocated area, only if the bidder has manufacturing license for cosmetic products. A **minimum discount of 10%** should be offered on the retail price of such products. However, the sale of products and discount thereto shall not count towards determining the bidder.

6 Before submitting the Expression of Interest, the service provider is advised to visit the Institute to apprise himself of the logistics of the prospective assignment.

7. Expression of Interest will be opened after last date of EOI submission and Financial Bid shall be opened only in respect of technically qualified bidders.

TERMS AND CONDITIONS AND SCOPE OF WORK

1. The Beauty Parlour-cum-Unisex Salon is required to be run compulsorily throughout the academic semester, with one weekly off, as per the directions of NIFT Bhopal Authority, from 10.00 AM to 8.00 PM. The Beauty Parlour-cum-Unisex Salon will not be closed on any day, other than the weekly off, except with the prior permission of the concerned authority.

2. Equipment installed/used shall be of good quality, conforming to laid down safety standards.
3. The items/products used shall be of good quality and a reputed brand. No expired items shall be used.
4. A rate-list of all the services, as per percentage discount offered in the Financial Bid, shall be prepared in consultation with the designated committee and duly approved by the competent authority of NIFT Bhopal. These prices shall remain applicable for the entire period of contract, without any increase.
5. Furniture and the equipment for the Beauty Parlour-cum-Unisex Salon has to be provided by the licensee. Maintenance of furniture and the equipment being used by the licensee is solely his responsibility.
6. The minor work (maintenance) will be borne by the licensee.
7. The contract shall be for a period of three years but shall be reviewed at the end of every year and renewed based on satisfactory performance.
8. The Licensee shall deposit the Security Deposit/License Fee in NIFT Bhopal Bank Account through NEFT/RTGS/Online transfers only and provide the relevant UTR Code Number to **accountsteam.bhopal@nift.ac.in**. NIFT Bhopal Bank Account details are as under:

NIFT General A/c No. : 549102010009108

Bank : Union Bank of India, Kolar Road, Bhopal-462041

IFSC : UBIN0554910

10. Monthly License Fee shall be deposited by the Licensee by the 7th of every month in advance. License fee shall be payable for ten (10) months at full rate and for two (02) months (considering the total duration when the Institute is not in session) at 50% of the quoted license fee.
11. The licensee has to pay the electricity & water charges as per actual consumption as per sub-meter. Further, the licensee shall be responsible to protect the electrical and plumbing fittings/fixtures provided and for carrying out routine maintenance of the allotted area.

12. If the Licensee fails to pay the License Fee, and/or Electricity Charges in time or does not abide to the terms and conditions of the agreement, the License will be terminated.

13. The Licensee shall be personally responsible for compliance of Municipal by-laws relating to sanitary conditions and provide liveries to the staff of the Beauty Parlour Cum Unisex Salon.

14. It will be the sole responsibility of the Licensee to abide by the provisions of the following acts as to the workers engaged by him for performance of this contract.

- (a) Minimum Wages Act 1948.
- (b) Employee Provident Fund Act 1952
- (c) Employee State Insurance Act 1948
- (d) Contract Labour (Abolition & Regulation) Act 1970.
- (e) Industrial Employment (standing orders) Act and rules 1946.
- (f) Prohibition of Child Labour Act 1986.
- (g) Payment of Bonus Act and Rules 1965.
- (h) Workmen compensation Act 1923.

15. Cleaning and housekeeping of parlour area will be the sole responsibility of the licensee. NIFT Bhopal would reserve the right to check on cleanliness and upkeep of premises and quality of services and products.

16. The licensee is responsible for removal and disposal of waste/garbage from the parlour area on a daily basis.

17. The licensee should ensure that all the employees are free from communicable diseases. Medical Certificate to this effect should be available for inspection by the authorities. If any worker is found to be medically unfit, he/she may not be given permission to continue his/her duties and licensee has to replace them immediately without fail.

18. The licensee shall ensure that all persons employed by the licensee are well mannered and display courteous behavior.

19. No accommodation, no changing/resting room, will be provided to the employees of the licensee.

20. All expenses related to the functioning of the employees engaged by the licensee shall be in the scope of the licensee.

21. Liability/responsibility in case of any accident, causing injury/death to the employee engaged by the licensee or any of his staff shall be of the contractor. The

Institute authorities shall not be responsible in any means in such cases.

22. The licensee shall not be allowed to transfer, assign, pledge or sub-contract its rights and liabilities under this contract to any other agency.

23. The licensee shall get suitable instructions from the designated official of NIFT Bhopal and shall provide the services promptly as per requirement.

24. Designated authority of the Institute will supervise the Beauty Parlour-cum-Unisex Salon operations.

25. The licensee shall collect the charges from users and the Institute is not responsible for collection of any charges from users.

26. The Licensee shall be wholly responsible for payment of any and all taxes including but not limited to commercial property tax, sales tax, GST, duties cess under the existing or future Laws, acts, Rules, Orders, Notifications etc, issued by the Central or State Governments or any local authority, or body in respect or in connection with supplies and NIFT shall not be liable to pay such taxes, rates, duties etc., whether existing or which may accrue in future.

27. Failure to start work within 15 days after issuing of work order or involvement of the licensee in illegal, unethical, violent activities or breach of any terms and conditions of the agreement will lead to debarment of the licensee from participating in any of the Tender/EOI of the institute.

28. NIFT Bhopal reserves the right to terminate the contract at one month's notice without assigning any reason, for which no compensation / damages will be paid. The contractor shall remove himself / herself from the said premises with all belongings and leave it entirely vacant within one month of the date of notice of revocation or termination of the contract. In case the contractor is desirous of terminating the contract before expiry of the period agreed, then contractor shall provide three-month advance notice in writing to NIFT Bhopal. The termination of the contract shall not release either party of its obligation to pay any sums then owing to the other party and also perform or discharge any liability that had been incurred prior thereto.

29. On the expiry of the contract, the contractor shall hand over peacefully, possession of the said parlour area and any other premises, together with fixtures and articles therein, in good working condition to NIFT Bhopal and also shall give up his right in favour of NIFT Bhopal.

30. In case of a legal dispute arising out of or relating to the agreement or breach, or the invalidity thereof, the same shall first be attempted to be settled by discussions. If the same is not resolved through mutual discussions, then the same

shall be referred to the sole arbitration of the Director, NIFT Bhopal or any person nominated by him. The decision of the arbitrator shall be final and binding on both the parties. All disputes are subject to Bhopal (MP) jurisdiction only.

31. The successful bidder will have to make an agreement with NIFT Bhopal on terms and conditions of the contract on stamp paper. The list of rate-list, as per Para 4 'Terms and Conditions and Scope of Work', shall form part of this agreement. The contractor shall bear and pay all the costs / charges and expenses incidental to the preparation and execution of the signed agreement in duplicate. The Institute shall retain the original contract document and the contractor shall keep the duplicate of the same.

32. Violation of any of the terms of agreement, record of poor performance such as abandoning work, not properly completing the Contract, or financial failures /weaknesses etc. may lead to termination of contract.

PENALTIES FOR VIOLATION OF RULES, TERMS AND CONDITIONS

The vendor will be fined, inter alia, in the following situation:

1. Any complaint about selling the services or products at a higher price than the pre-decided price will attract a minimum penalty of Rs.500/- per incidence.

2. Any complaint about selling any service outside the agreement, without the permission of concerned authorities will attract a minimum penalty of Rs.500/- per incidence.

3. For any rule stated in the agreement first violation of the rule implies fine as per the rule. Second and subsequent violations of the same rule on a different day of the previous fine will attract triple the initial amount of fine on the licensee.

4. The final decision of fines being imposed lies with the Director, NIFT Bhopal.

5. The licensee has to pay the fine within 15 days of the fine imposed in one lumpsum, the full amount of the fine imposed.

SELF-DECLARATION

I hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge & belief and nothing has been concealed thereof. I also declare that the Enterprise/ Company/ Shop has not been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

SIGNATURE :

(with stamp)

NAME / FIRM NAME :

ADDRESS :

DATE :

MOBILE No :

E-MAIL ID :

TECHNICAL BID

EXPRESSION OF INTEREST

FOR RUNNING BEAUTY PARLOUR-CUM-UNISEX SALON AT NIFT BHOPAL

1.	Name of the Beauty Parlour Operator as per establishment/company Registration	
2.	Address/s of the Beauty Parlour Operator, as per Registration Certificate	
3.	Land Line/ Mobile No.	
4.	Email ID	
5.	Establishment/Company Registration Number (attach copy of Registration Certificate)	
6.	Trade License Number (attach copy of License)	
7.	Shops and Establishment Act/Factory Act (as applicable) License/Gumasta License No. (attach copy of Registration Certificate/License)	
8.	Trademark Registration No. (attach copy of Registration Certificate)	
9.	PAN No. in respect of the registered establishment/company (attach copy of PAN Card)	
10.	GST No. in respect of the registered establishment/company (attach copy of Certificate)	
11.	Turnover Certificate attested by a Chartered Accountant with UDIN No.	attach copy of Certificate
12.	Manufacturing License No., if applicable (attach copy of Registration Certificate/License)	

NOTE: Submission of documents mentioned at Ser No 5 to 11 is mandatory and at Ser No. 12 is required only for products if being sold. Exemptions will be applicable as per existing laws on the subject. Failure to furnish above information or submission of documents, unless, otherwise exempted, will result in disqualification of the bidder.

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date:

FINANCIAL BID

EXPRESSION OF INTEREST

FOR RUNNING BEAUTY PARLOUR-CUM-UNISEX SALON AT NIFT BHOPAL

1. I/We offer to pay to NIFT Bhopal, a License fee (excluding water & electricity charges) of ₹..... (in figures) Rupees (in words) per month for running Beauty Parlour-cum-Unisex Salon at NIFT Bhopal.

(Please mention the amount in figures and in words. GST shall be charged separately, as applicable)

2. I/We shall offer a discount of.....% (in words,) per service.

Criteria of Selection: Weightage for License fee Quoted and discount offered on services will be calculated as under: -

Five (05) Marks will be awarded for every ₹ 500 quoted above the Minimum License Fee (i.e. ₹ 5000/-) with the total marks so awarded not exceeding 20.

Five (05) Marks will be awarded for every percentage of discount above the Minimum discount (i.e. 10%) quoted with the total marks so awarded not exceeding 80.

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date: